<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>04.11.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के आरोपितों वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी और प्रमोद कुमार को दोषी सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद ने मामला सं. 5/23 में दिनांक 03/11/2026 के निर्णय के द्वारा सभी पांच आरोपितों को दोषी ठहराया। प्रत्येक को तीन वर्ष के कठोर कारावास सहित पचास हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

ईडी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी, गाजियाबाद द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी, सिंडिकेट बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय संख्या 2, गाजियाबाद ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक वीएन माथुर को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को आरोपों से मुक्त कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि राजीव कुमार और प्रमोद कुमार, जिन्हें हालांकि अनुसूचित अपराध के लिए आरोप मुक्त किए गए थे, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों और सामग्रियों के आधार पर धन शोधन के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि 2006-07 के दौरान, वी.एन. माथुर, शाखा प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, गजरौला शाखा ने दिवंगत नरेंद्र सिंह, अरविंद चौधरी व अन्य के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी। उक्त साजिश के तहत, उसने इन लोगों, इनकी फर्मों और सहयोगियों को अस्तित्वहीन संपत्तियों के फर्जी बिक्री विलेख, झूठे ऋण भार-मुक्ति प्रमाण पत्र व गलत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ऋण और ओवरड्राफ्ट सीमाएं स्वीकृत कीं।

आगे की जांच से पता चला कि ऋण की धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करने के बजाय, उसे नकद में निकाल लिया गया और अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न बचत खातों तथा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्तरीकृत किया गया। इसके बाद, इन अवैध निधियों का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया, जिनमें अलीपुर, जिला जे.पी. नगर में एक भूखंड तथा देहरादून में एक भूखंड शामिल हैं। इस प्रकार आरोपित ने यह जानते हुए भी कि वह अपराध की आय है, उसे अर्जित किया, अपने कब्जे में रखा, इस्तेमाल किया व छिपाया, और उसे वैध संपत्ति के रूप में दर्शाया; इस तरह उन्होंने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन-शोधन का अपराध किया।